प्र.सं. 52/17 श्रीमती अब्बास अली दव अन्य बनाम गणे ालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फेरनियों का गुड़ा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 1955, 1956, 1969 से 1986 कुल किता 20 रकबा 3.8100 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1072 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा थे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार वादीगण के मूलपुरूश लखा जी थे तथा प्रतिवादीगण के परिवार में नन्दा जी सबसे बड़े होकर उनका संयुक्त परिवार होकर भाामिल भारीक रहते थे। इसी नाते 1/2 हिस्सा लखा के नाम एवं 1/2 हिस्सा नन्दा के नाम दर्ज कराया गया। पक्षकारों के मध्य विधिवत विभाजन नहीं होने से कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी अपने 1/2 हिस्से की सीमा एवं माप से विभाजन कराना चाहता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि वादग्रस्त भूमि पहले से ही बंटी हुई है तो सीमा एवं माप से विभाजन का प्र न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 31.05.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 उनकी ओर से अधिवक्ता श्री मनीश भार्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले । चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 28.05.2017 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रा[illegible] पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्[illegible] हित [illegible] मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। दौराने बहस विद्वान वकील अपीला[illegible] ने अपील मीमों में वर्णित [illegible] को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:25 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 52/17 श्रीमती अब्बास अली दव अन्य बनाम गणे ालाल व अन्य

स्पश्ट रूप से बताया है कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में बंटवारा होकर पक्षकारान उसी अनुसार काबिज हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के जवाबदावे पर कोई तनकी कायम नहीं की गयी है तथा जो तनकी कायम की है, उस पर बिना साक्ष्य सबूत लिए निर्णय पारित किया गया है, जो प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 144/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कब्जे एवं मौके अनुसार जमीन की गुणवत्ता एवं मूल्यवत्ता को ध्यान में रखकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:25 IST
Reason: SelfAttested